(144)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क्र. /09–10 द्वितिय अपील
A-1381-II/2010

मोहनलाल पिता बिहारीलाल, उम्र 75 वर्ष, धंधा कृषि,
निवसी ग्राम पाट तहसील तरना जिला उज्जैन (म.प्र.)
.....................अपीलार्थी

श्री राजपाल सिंह बैरागी अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 28-9-10 को उज्जैन कैम्प पर प्रस्तुत
28-9-10

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, जिला उज्जैन (म.प्र.)
2. सरपंच ग्राम पंचायत पाट, तहसील तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.)

.... प्रत्यर्थीगण

विषय :– न्यायालय अपर राजस्व आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 09/08–09/अपील में पारित आदेश दिनांक 23.08.10 से असंतुष्ट होकर द्वितिय अपील धारा 44 (2) म. प्र. भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत।

मान्यवर महोदय –

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित द्वितिय अपील सादर प्रस्तुत है :–

–संक्षिप्त तथ्य–

1. यह कि प्रत्यर्थी क्र. 2 द्वारा अवैधानिक रूप से ठहराव प्रस्ताव कर बिना ग्राम सभा की अनुमति लिये सर्वे क्र. 23 रकबा 0.62 (गोठान), 228/2 रकबा 0.98, 229 रकबा 0.07 (नाला), 230 रकबा 0.40 (चारागाह), 232 रकबा 0.14 (नाला), 238 रकबा 0.68 (ईटभट्टा), 237 में से 0.10 हैक्टर (गोठान व पशु विश्राम) स्थित ग्राम पाट तह. जिला उज्जैन तराना की नोईयत परिवर्तन करने हेतु विधि विरूद्ध संकल्प पारित कर सिधे नायाब तहसीलदार तराना के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 2.08.08 प्रस्तुत किया, अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.09.2008 में उक्त भूमियो का आबादी एवं व्यवसायिक प्रयोजन हेतु परिवर्तन करने के आदेश प्रदान किये जिससे अंसतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील माननीय आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जिसमे माननीय आयुक्त महोदय द्वारा अपीलार्थी की अपील निरस्त करते हुए कलेक्टर महोदय का आदेश स्थिर रखा गया जिससे असंतुष्ट होकर यह द्वितिय अपील प्रस्तुत है ।

निरन्तर 2

(144)

(161)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./1381/दो/2010

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 22/08/2015 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	